कृषि उपज विपणन समिति

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)

नई अनाज मंडी, नरेला, दिल्ली - 110040

फोन नं. 27282339,27285352,27282550 टेलिफेक्स नं. 27284089

RIGHT TO INFORMATION

सं:- 38(12)96/Armd/NCL/CT/PT/281 दिनांक :- 21/6/22

निविदा सूचना

कृषि उपज विपणन समिति, नरेला, दिल्ली द्वारा अपने कार्यालय में लगे कंप्यूटरो के **2** वर्षो हेतु रख-रखाव हेतु ठेका दिया जाना है जिसके लिए सम्बंधित कार्य करने वाली इच्छुक फर्मो जिनके पास पैन न. एवं फर्म/एजेंसी के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है, से निविदाएं ली जानी है। अतः यदि आपकी फर्म निम्नलिखित विवरण अनुसार कंप्यूटर सिस्टम (विद नेटवर्किंग), प्रिंटर, तथा यू. पी. एस. की सभी पार्टो एवं वायर सहित वार्षिक रख रखाव का ठेका लेने हेतु इच्छुक है तो आप अपनी निविदा दिनांक **27-06-2022** दोपहर **2** बजे तक समिति कार्यालय में जमा करा दे। प्राप्त निविदाएं दिनांक **27-06-2022** दोपहर बाद **3** बजे खोली जाएंगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित है।

क्र. स.	**वस्तु का नाम**	**संख्या**
1.	कंप्यूटर सिस्टम पी -3 एच. सी. एल.	01
2.	कंप्यूटर सिस्टम एचपी 3330 इंटेलकौर आई-3, आई-5, 7th जनरेशन प्रोसेसर	17
3.	एच. पी. लैजर जैट प्रिंटर 108 ए सीरीज	01
4.	एच. पी. प्रिंटर, फैक्स मशीन एम एफ. पी. एम. 226 डी. डब्लू	01
5.	डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर टीवीएस एचडी 250 गोल्ड	03
6.	एच. पी. लैजर जैट प्रिंटर 1020 प्लस	03
7.	एच. पी. हॉटस्पॉट एम 1218 एन.एफ. एस. एम. एफ. पी.	01
8.	यू. पी. एस. विद बैटरी	17
9.	एच. पी. लैपटॉप (नोट बुक 15 जी. बी. आर 011 टी एक्स)	01
10.	एच. पी. लैजर जैट प्रिंटर एमएफपी 128 एफएन	01

उपरोक्त विवरण अनुसार कंप्यूटरो के **2** वर्षो हेतु रख-रखाव के ठेके के अंतर्गत आपको समिति में निम्नलिखित नियम व शर्त के अनुसार अपनी सेवाएं देनी होगी। :-

1. ठेके की अवधि दो वर्ष के लिए होगी जिसका अनुबंध रु 100.00 के स्टैम्प पेपर पर आप द्वारा समिति कार्यालय में देना होना। यह ए. एम. सी. कभी भी एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2. ठेके की राशि का भुगतान प्रत्येक छमाही पर (दो वर्ष के रख-रखाव की कुल राशि का 25 प्रतिशत)कार्य संतोषजनक होने पर दिया जाएगा।

3. सम्बंधित एजेंसी को समिति द्वारा दर्ज शिकायत हेतु आने के अलावा कम से कम माह में एक बार अनिवार्य रूप से सभी उपकरणों की देख-रेख के लिए विजिट करनी होगी।

4. समिति द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर आपको अगले दिन तक समिति कार्यालय में अनिवार्य रूप से अपना इंजीनियर भेजना होगा और यदि कंप्यूटर के किसी पार्ट को ठीक करने में समय लगता है तो फर्म उस पार्ट का विकल्प (......................) तुरंत समिति में उपलब्ध कराना होगा।

5. यदि उपरोक्त वर्णित सभी कंप्यूटर सिस्टमो का कोई भी पार्ट जैसे:- हार्ड डिस्क, माउस, कीबोर्ड, सी. पी. यू. के सभी इंटरनल पार्ट्स, डीवीडी राईटर, मॉनिटर, स्पीकर, एडेप्टर तथा प्रिंटर के सभी पार्ट्स केवल टोनर व कार्टरेज आदि को छोड़कर यदि खराब होता है तो वह फर्म द्वारा ही बदला जाएगा उसके लिए समिति द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

6. कार्य संतोषजनक न पाए जाने तथा नियम व शर्तो की अवहेलना करने पर दो वर्ष के रख रखाव के ठेके की कुल राशि में से 2 प्रतिशत राशि जुर्माने के रूप में वसूल की जाएगी।

7. किसी भी विपणन समिति (APMC'S) से कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।

8. हमारी (APMC, Narela) सेवाएं ESSENTIAL SERVICES के अंतर्गत कार्य करती है।

9. चयनित एजेंसी (Selected Firm) को कुल राशि का **2 प्रतिशत P.G**. के रूप मे समिति कार्यालय नरेला मे जमा करवाना होगा।

उपरोक्त विवरण अनुसार सभी पार्टो व लेबर चार्जिज सहित एवं उपरोक्त नियमो के अनुसार दो वर्षो की अवधि के लिए रख-रखाव का ठेका लेने हेतु यदि आप निविदा सूचना में वर्णित सभी कंप्यूटर सिस्टमो/उपकरणों की स्थिति देखना चाहे तो आप समिति कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को बुधवार को छोड़कर प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:30 बजे के बीच समिति कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

(धर्मवीर)
सहायक सचिव- ॥

प्रतिलिपि :-

1. नोटिस बोर्ड, नई व पुरानी अनाज मंडी, नरेला।